संख्याः 6807 /सात लाई०–एस–48/आब०नीति/वर्ष 2025–26

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांकःजून, 29 ,2026

विषयः– उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम–12.1, नियम–12.2 एवं नियम–37 को संलग्न परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' के अनुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना (संशोधन) संख्या 270/XXIII-1/2025/ई–87800/2026 देहरादून दिनांक 23 जून, 2026 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक्‌विचारोपरान्त्‌ उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम–12.1, नियम–12.2 एवं नियम–37 को संशोधित/प्रतिस्थापित किये जाने सम्बन्धी शासन की अधिसूचना संख्या 112/XXIII-1/2025/ई–87800/ 2026 दिनांक 31 मार्च, 2026 के परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' में अंकित उपकर को भी वैट अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत वैट गणना का भाग बनाये जाने तथा परिशिष्ट 'ख' के कमांक–1 में अंकित मद के अन्तर्गत ही होलोग्राम शुल्क सम्मिलित होने के दृष्टिगत कमांक–4 में सम्मिलित किये गये होलोग्राम को विलोपित करते हुये संलग्न परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' के अनुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त के कम में नियमानुसार यथावश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गयी है।

अतः अनुरोध है कि उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की उक्त अधिसूचना (संशोधन) दिनांक 23.06.2026 के साथ संलग्न कर उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम–12.1, नियम–12.2 एवं नियम–37 को संलग्न परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' के अनुसार संशोधित/प्रतिस्थापित को शासन की अपेक्षानुसार यथावश्यक समयान्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

प्रतिबन्ध– प्रतिबन्ध यह है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु स्वीकृत/प्रस्तावित ई0डी0पी0 में बढ़ोत्तरी नहीं की जायेगी।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्याः 6808-12 /सात लाई०–एस–48/आब०नीति/वर्ष 2025–26/तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर/संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड।
3. उप आबकारी आयुक्त आई0टी0, मुख्यालय, देहरादून।
4. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ।
5. समस्त विदेशी मदिरा आर्पूतक इकाईयों, उत्तराखण्ड को उपरोक्त के अनुपालनार्थ।

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

Scanned with CamScanner

1108
24-6-26

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्याः ——/XXIII–1/2025/ई–87800/2026
देहरादूनः दिनांक 23 जून, 2026

अधिसूचना (संशोधन)

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम–12.1, नियम–12.2 एवं नियम–37 को संशोधित/प्रतिस्थापित किये जाने सम्बन्धी शासन की अधिसूचना संख्याः 112/XXIII–1/2025/ई–87800/2026 दिनांक 31 मार्च, 2026 के परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' में अंकित उपकर को भी वैट अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत वैट गणना का भाग बनाए जाने तथा परिशिष्ट 'ख' के क्रमांक–1 में अंकित मद के अन्तर्गत ही होलोग्राम शुल्क सम्मिलित होने के दृष्टिगत क्रमांक–4 में सम्मिलित किए गए होलोग्राम शुल्क को विलोपित करते हुए संलग्न परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' के अनुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त अधिसूचना को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

3– उक्त के क्रम में नियमानुसार यथावश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

Digitally signed by
LALRINLIANA FANAI
Date: 23-06-2026
13:01:55
(एल0 फैनई)
प्रमुख सचिव।

संख्या 270 (1)/XXIII–1/2025/ई–87800/2026 तद्दिनांकित
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
9. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।

Scanned with CamScanner

12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि उक्त का प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 50 प्रतियां प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन, 4— सुभाष रोड, देहरादून तथा 50 प्रतियां कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, 15/1, गांधी रोड, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना सार्वजनिक किए जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाईल।

—ह0—

(एल0 फैनई)

प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner

अधिसूचना संख्याः 270 /XXIII–1/2025/ई–87800/2026, दिनांक 23 ~~अप्रैल~~ जून, 2026
का परिशिष्ट 'क'

12.1 विदेशी मदिरा, बीयर, वाईन व आर0टी0डी0 का विक्रय मूल्यः–

a) एफ0एल०–5डी हेतु विदेशी मदिरा, बीयर व वाईन/आर0टी0डी0 का खुदरा विक्री मूल्य निम्न सूत्र से वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2027–28 तक निर्धारित किया जाएगा तथा मदिरा बोतल/टेट्रा पैक में एमआरपी तथा एमएसपी दोनों का अंकन अनिवार्य होगाः–

क0सं0	विवरण
1	ई0डी0पी0 (नियम–12.5 के कम में)
2	निर्यात शुल्क (निर्यातक इकाई के राज्य में प्रभावी)
3	आयात शुल्क (विदेशी मदिरा में रू0 10 प्रति 750 एम0एल0 (01 बोतल= 02 अद्धा = 04 पव्वा) तथा बीयर व वाईन/आर0टी0डी0 में रू0 05 प्रति 650 एम0एल0 की दर से) अन्य धारिता में समानुपातिक आधार पर लिया जायेगा/बॉटलिंग फीस (मदिरा जिनकी भराई उत्तराखण्ड राज्य में की जा रही है।)
4	उत्पाद शुल्क (नियम–6.1 में ई0डी0पी0 वार)
5	योग (1+2+3+4)
6	सेस 2 प्रतिशत उपकर (उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम–2015 की धारा–03 की उपधारा–1 'खण्ड ख के कम में लागू)
7	महिला सशक्तिकरण, खेलकूद को बढावा देने तथा गौ संरक्षण के लिये प्रत्येक विदेशी मदिरा/ बीयर की प्रत्येक बोतल पर प्रति मद रू0 01(अर्थात् प्रत्येक बोतल पर रू0 03) का उपकर (सेस) देय होगा।
8	होलोग्राम शुल्क
9	**योग** (5+6+7+8)
10	वाणिज्य कर (वैट) (6 प्रतिशत)
11	**एफ0एल0–2 की लागत दर** (9+10)
12	**प्रतिफल**
13	एफ०एल०–2 अनुज्ञापन धारक का व्यय 70/– रूपये प्रति पेटी
14	योग (11+12+13)
15	एम0जी0डी0 (एम0जी0डी0 नियम 6.3 में ई0डी0पी0 वार)
16	ऐसेस्मेन्ट फीस(ऐसेस्मेन्ट फीस नियम 8.3 के अनुसार)
17	खुदरा विक्रेता का लागत मूल्य **(14+15+16 का योग)**
18	खुदरा विक्रेता का लाभांश (विदेशी मदिरा पर 20 प्रतिशत एवं बीयॅर/वाईन/आर0टी0डी0 पर 15 प्रतिशत लागत मूल्य का) of 17th point
19	प्रति बोतल एमएसपी (8 प्रतिशत लाभांश के साथ)
20	अधिकतम खुदरा मूल्य–विदेशी मदिरा के मामले में बोतल में रू० 10 के गुणांक में,अद्धा व पव्वा में 5 रुपये गुणांक में तथा बीयॅर/वाईन/आर0टी0डी0 के मामले में रू० 5 के गुणांक में निर्धारित किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि प्रतिफल (अतिरिक्त राजरव) के रूप में राजकोष में जमा करायी जायेगी। उक्त अतिरिक्त प्राप्त राजरव जनपद के राजरवलक्ष्य का भाग माना जाएगा।

Digitally signed by
LALRINLIANA FANAI
Date: 23-06-2026
13:00:57

(एल0 फैनई)
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner